न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 62/24 GCMS NO 2024/138

1. मु0सुमन पत्नि रामधरम
2. वती पुत्री रामधरम
3. रति पुत्री रामधरम
4. गौरव पुत्र रामधरम नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती सुमन पत्नि रामधरम जातियान गुर्जर निवासीयान ढाणी सैनपुर क[illegible]ापुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल जिला करौली
5. कमला पुत्री रघुनाथ पत्नि विकय जाति गुर्जर निवासी ढाणी सैनपुर कमालपुरा हाल वासी खेडी मंडीली तहसील मासलपुर जिला करौली
6. रूपबाई पुत्री रघुनाथ पत्नि गोविन्द जाति गुर्जर निवासी ढाणी सैनपुर कमालपुरा हाल वासी जयसिहपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली
7. रमेश
8. गिरधारी
9. रामकेश
10. यादराम
11. संतोष पिसरान रघुनाथ ज[illegible]यान गुर्जर निवासी ढाणी सैनपुर कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

वनाम

1. भगवानी देवी पत्नि अतर सिह
2. लखन बाई पत्नि कल्याण सिह जातियान गुर्जर निवासी चन्दवाड तहसील टोडाभीम जिला करौली
3. कल्याण पुत्र रामसहाय
4. अतर सिह पुत्र श्रीमन जातियान गुर्जर निवासीयान चंदवाड तहसील टोडाभीम जिला करौली
5. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 66/17 निर्णय व ढिकी दिनांक 13.8.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम)
अभिभाषक अपीला0 श्री सीताराम गुर्जर
अभिभाषक रैस्पो0 श्री मनोज कुमार शर्मा

दिनांक 05.01.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अर्न्तगत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 13.8.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अ[illegible] न्यायालय में वादी/अपीलार्थीगण के पिता/ससुर/बाबा रघुनाथ पुत्र गंगाधर [illegible] स्वत्व घोषणा [illegible] एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

भगवानी आयु 50 साल पत्नि अतरसिंह

आशय का पेश किया कि ग्राम कमालपुरा स्थित आराजीयात खसरा न0 2477 रकबा 1.90, खसरा न0 2479 रकबा 0.50 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.40 है0 मे वादी वहिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी न0 1 व 2 प्रत्येक 1/3 हिस्से के दर्ज रिकॉर्ड है। जो साविक खसरा न0 2003/2/2 से बना है। आराजी साविक खसरा न0 2003/2/2 रकबा 9 बीघा 10 विस्वा पूर्व मे जगदीश पुत्र महाजन के नाम थी। जिसको जगदीश महाजन द्वारा वादी के ससुर किशन्या पुत्र रामचंद को बेच दिया तथा किशन्या पुत्र रामचंद अपने पैतृक गांव नामनेर छौडकर कैलाई चले गये तथा उक्त आराजी को वादी की पत्नि केशुला के हक मे बेचान नामा कर गये तथा आराजीयात की समस्त कागजात पासबुक वगै0 वादी को संभलाकर कब्जा वादी को संभला दिया। वादी के ससुर किशन्या पुत्र रामचंद के जीवनकाल मे कोई विवाद किसी प्रकार का नही रहा तथा उक्त आराजी को वादी अपनी पत्नि और पुत्र के साथ काश्त करते रहे तथा पांच पुत्रो को बराबर बराबर हिस्सो मे वांट दिया वे अपने अपने हिस्से पर काबिज एवं काबिज है। बिना किसी बाधा के काश्त करते चले आ रहे है। किशन्या पुत्र रामचंद के मरने के वाद आराजी वादग्रस्त तीनो पुत्र कमोद,रामसिह,रामजीलाल के नाम आई तथा रामजीलाल के मरने के बाद उसकी पुत्री ,पुत्र तथा पत्नि के नाम आई वादी के ससुर किशन्या व साले रामजीलाल के जिवित रहते कोई समस्या आराजीयात के बाबत उत्पन्न नही हुई। रामजीलाल के मरने के वाद उनके वारिसान के मन मे बदयाति उत्पन्न हो गई तथा खातेदारी उनके नाम होने से लालच उत्पन्न हो गया जिसका पता चलने पर वादी द्वारा उनसे कहा कि तुम्हारे पिता ,बावा ससुर हमे बेचकर कैलाई आ बसे है। तुम हमारे नाम खातेदारी करा दो आगे पीढियो का पता नही , रिश्तेदारी मे खटास उत्पन्न हो जावेगी तो रामसिह द्वारा वादी के हक मे बेचान नाम करा दिया तथा अन्य टालमटोल करते रहे फिर बिना किसी अधिकार के बिना कब्जे के बिना प्रतिफल के गुपचुप तरीके से आराजी का बेचान नामा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक मे करा दिया। जिसका पता वादी को नही चलने दिया। वादी के पुत्र दिनांक 30.4.17 को सुवह 9 बजे वादग्रस्त आराजीयात को अपने कब्जे अनुसार अगली फसल की तैयारी कर रहा था तो प्रतिवादीगण आये तथा आराजीयात के कब्जे काश्त मे मजाहमत करने की धमकी दी तथा कहा कि उक्त आराजी की रजिस्ट्री हमारे नाम करा ली है इसलिए तुम्हे बेदखल करेंगे तथा काश्त नही करने देंगे। वादी द्वारा काफी समझाईश की गई परन्तु प्रतिवादीगण नही माने। इसलिए दावा वादी इस अमर का डिकी फरमाया जावे कि आराजी खसरा न0 2477 रकबा 1.90 है0 व 2479 रकबा 0.50 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.40 है0 वाके ग्राम कमालपुरा तहसील टोडाभीम मे प्रतिवादी न0 1 व 2 के हक मे कराई गई रजिस्ट्री को नल एण्ड वोईड घोषित फरमाई जावे तथा वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त मे मदालखत नही करे आराजी को रहन बेचान नही करे मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/अपीलांटगण के पिता/ससुर/बाबा द्वारा की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि निर्णय व डिकी जैर अपील अधिनस्थ न्यायालय विधि एवं नियम विरूद्व होने से काबिले मंसूखी है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत वाद इस्तकरारहक ,तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी के लिए मु0न0 31/17 के साथ वादीगण /अपीलार्थीगण के वाद को हमफौता कर कानूनी भूल की है। जबकि दोनो वादो मे पक्षकार व वादकारण अलग अलग है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण/वादीगण की और से प्रस्तुत वाद व उत्तरवाद के आधार पर कोई विवाधक कायम नही किये है महज रेस्पो0 न0 1 व 2 की और से प्रस्तुत वाद मे विरचित विवाधको के आधार पर निर्णय व डिकी जैर अपील पारित किया है जो काबिले निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिकी जैर अपील मे तथाकथित विकय पत्र दिनांक 28.3.17 व एक पक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर विवादित भूमि के 2/3 भाग पर रेस्पो0 का कब्जा मानने मे अहम भूल की है। रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 28.3.17 बिना वैध प्रतिफल प्राप्त किये व बिना कब्जा हस्तान्तरण की कार्यवाही किये गये है जो प्रारंभ से ही नल एण्ड वोईड है एवं मौका रिपोर्ट अपीलार्थीगण/वादीगण की गैरमौजूदगी मे राजस्व कर्मचारियो से साजकर तैयार कराई गई है। जिसे साबित भी नही कराया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजात प्रदर्श 2,3,7,8,9 पर विश्वास किया जाकर विधि एवं नियम विरूद्व निर्णय व डिकी जैर अपील पारित किया है जो काबिले मंसूखी है। विवाधक संख्या 1 व 2 को रेस्पो0किसी भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नही कर पाये है। अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विधि अनुसार विवेचन व मनन किये वगैर विवाधको को वहक रेस्पो0 साबित होना मानने मे अहम कानूनी भूल की है। विवाधक संख्या 3 व 4 को अपीलार्थीगण द्वारा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित किया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनो विवाधको का निर्णय विरूद्व अपीलार्थी/वादीगण तय करने मे अहम भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण निर्णय व डिकी जैर अपील मे रेस्पो0 द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत वाद मु0न0 31/17 पर ही प्रकाश डाला है और उसी के आधार पर निर्णय व डिकी जैर अपील पारित किया है जो काबिले मंसूखी है। विवादित आराजीयात पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त है विवादित आराजीयात पर अपीलार्थीगण के दो बोर लगे हुए है जिन पर अपीलार्थीगण के नाम स्थाई बिजली कनेक्शन जारी है। मौजूदा मे अपीलार्थीगण द्वारा काश्त की गई फसल बाजरा सरसब्ज खडी हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य को रेस्पो/प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के मुकाबले कम महत्व देकर व अपीलार्थीगण/वादीगण की साक्ष्य को अनदेखा कर निर्णय व डिकी जैर अपील प्रदान किया है जो काबिले मंसूखी है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण/वादीगण की और से प्रस्[illegible]क दृष्टांतो का अवलोकन किये बगैर [illegible] अपील प्रदान किया है यहॉ तक की उन्हे आदेश जैर अपील [illegible] व डिकी जैर अपील लीगली निर्णय जो काबिले मंसूखी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible]

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:30 IST
Reason: SelfAttested

स्पीकिंग आर्डर नही होने व डिक्री के बाबत स्पष्टीकरण नही दिये जाने के कारण निर्णय जैर अपील काबिले मंसूखी है। विवादित आराजी ख0न0 2477 रकबा 1.90 है0 व खसरा न0 2479 रकबा 0.50 है0 ग्राम कमालपुरा तहसील टोडाभीम पर अपीलार्थीगण/वादीगण पचास सालो से अधिक समय से बदस्तूर कब्जा काश्त होने के आधार पर धारा 63 आर टी एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने पर स्वतः ही खातेदार अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने दावा वादीगण खारिज करने मे अहम कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.8.24 मंसूख फरमाया जाकर दावा वादीगण/अपीलार्थीगण मु0न0 66/17 उनवानी रघुनाथ बनाम भगवानी वगै0 चाही गई सहायता के लिए डिक्री फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता का बहस के दौरान कथन रहा कि ग्राम कमालपुरा स्थित आराजी ख0न0 2477 रकबा 1.90, 2479 रकबा 0.50 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.40 है0 मे रेस्पो/प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 2 बहिस्सा 1/3, तथा वादी संख्या 1 बहिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी ख0न0 2477 व 2479 रकबा 2.40 है0 पूर्व मे कजोड,रामसिह पिसरान किशन्या हिस्सा 2/3 तथा राजाराम,जनक,हरिसिह पिसरान रामजीलाल, रुकमणी पुत्री रामजीलाल, घीसी पत्नि रामजीलाल के नाम थी। जो उनके पूर्वजो के समय से ही उक्त व्यक्ति काबिज काश्त करते चले आ रहे थे। पारिवारिक समस्याओ की जरूरत होने पर उक्त आराजी को अपने 1/3 हिस्से की आराजी को बहक प्रतिवादी न0 1 को दिनांक 28.3.17 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया इसी प्रकार उक्त आराजी के 1/3 हिस्से के खातेदार कमोद ने अपने 1/3 हिस्से को दिनांक 28.3.17 को प्रतिवादी न0 2 को विक्रय कर दिया। उसी दिन से प्रतिवादी न0 1 व 2 मौके पर पूर्वानुसार हो रहे बाहमी बंटवारा अनुसार ही कब्जा करा दिया गया। इस प्रकार आराजीयात 2/3 हिस्से पर अपीलांट व अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई संबंध वास्ता नही है। प्रतिवादी/रेस्पो0 बोनाफाईड परचेजर है। यदि वादी/अपीलांट को उक्त विक्रय पत्र से किसी प्रकार सरोकार है तो उसको सक्षम न्यायालय म चाराजोही करनी चाहिए थी। वाद पत्र के आधार पर किसी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने का वादी/अपीलांट अधिकारी नही है। वादीगण/अपीलांटगण प्रतिवादीगण से रंजिश रखते है इसलिए प्रतिवादीगण ने वादी एवं उनके पुत्रो के खिलाफ एक वाद पत्र इस्तकराराहक एवं तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 31/17 पेश किया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद विवेचन वादीगण के पक्ष मे वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया गया है। जिसकी अपील भी प्रतिवादी/अपीलार्थीगण द्वारा पेश की गई थी जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की आपसी सहमति से हमफीता की जाकर दोनो वादो का निर्णय एक साथ किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात को रामजीलाल के वारिसान या कमोद तथा उनके पिता किशन्या ने कभी कोई आराजी का बेचान वादीगण/अपीलांटगण को नही किया है। ऐसा कोई दस्तावेज वादीगण/अपीलांट के पास उपलब्ध नही है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 66/17 व 31/17 को हमफीता कर कानूनी भूल की है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सहमति से पक्षकारण एवं वादग्रस्त आराजीयात समान होने के कारण दोनो वादो को हमफीता किया गया है। इसी प्रकार अपीलाट अधिवक्ता का

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:30 IST
Reason: SelfAttested

यह कथन झूठा है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण की साक्ष्य का विवेचन नही किया है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर पूर्ण रूप से विवेचन किये जाने के उपरान्त ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजीयात से अपीलाटगणें/प्रतिवादीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है केवल कहने मात्र से कब्जा सिद्व नही होता है जबकि वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण/रेस्पो0 का खरीद के समय से निर्वाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता यह कथन भी मिथ्या है कि कय शुदा आराजी बिना प्रतिफल प्रदान किये कय की गई है जबकि वादीगण/रेस्पो0 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात मे से 2/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रतिफल दिया जाकर कय किया है। इस प्रकार वादीगण अपने हिस्से के बोनाफाईड परचेजर है केता खातेदार को उसके अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता है। जिसकी पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध विकय विलेखो से होती है। वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात दर्ज राजस्व रिकार्ड होने एवं प्रतिवादीगण द्वारा जबरन दखलअंदाजी करने के कारण विधिवत रूप से बंटवारे का वाद पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली जाकर एवं बयान लेखबद्व कराये जाकर तनकीयात कायम की जाकर वादीगण का वाद पत्र विधिवत रूप से प्राथमिक डिक्री किया गया है। जहॉ तक वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जे का सवंध है तो पत्रावली मे उपलब्ध प्रदर्श 7 लगायत 9 मे रेस्पो0 का कब्जा स्पष्ट साबित है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे माना है। वादग्रस्त आराजीयात की बंटवारा स्कीम मे हिस्से एवं मौके अनुसार बंटवारा दर्शाया गया है । अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट विगत 50 वर्षो से काबिज काश्त है। यहॉ यह तथ्य समाचीन है कि केवल मात्र कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिपोर्टो का भली भॉति अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलांट द्वारा निराधार आधारो पर अपील पेश की गई है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा न0 2477 व 2479 वाके ग्राम कमालपुरा तहसील टोडाभीम की खातेदारी जमावंदी सम्वत 2071 से 2074 मे राजाराज,जनक,हरिसिह पिसरान रामजीलाल , रूकमणी पुत्री रामजीलाल, घीसी बेवा रामजीलाल हिस्सा 1/3 , कमोद,रामसिह पिसरान किंसल्या हिस्सा 2/3 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमावंदी सम्वत 2071 से 2074 के 1/3 हिस्से के खातेदार राजाराम,जनक, हरिसिह पिसरान रामजीलाल, रूकमणी पुत्री रामजीलाल ,घीसी बेवा रामजीलाल द्वारा भगवानी देवी पत्नि अतर सिह गुर्जर को अपना हिस्सा 1/3 जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक [illegible] को बेचान किया गया है इसी प्रकार खातेदार कमोद पुत्र किशन्या द्वारा अपना 1/3 हिस्सा [illegible] पत्नि कल्याण सिह जाति गुर्जर को बेचान किया गया है। जिसका अमल दरामद जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 मे हो गया। जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 मे वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम 1/3, 1/3

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

हिस्सा एवं रघुनाथ पुत्र गंगाधर के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उत्तरवाद के आधार पर कोई विवाधक कायम नही किये है महज रेस्पो0 न0 1 व 2 की और से प्रस्तुत वाद मे वर्णित कथनो के आधार पर विरचित विवाधको के आधार पर ही निर्णय व डिकी जैर अपील पारित की है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से दावा एवं जबाब दावा के आधार पर विवाधक कायम किये जाकर विधि अनुसार विवेचन किया जाकर तनकीयात निर्णित की गई है। जहाँ तक वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जे का प्रश्न है तो मौका रिपोर्ट प्रदर्श 7 लगायत 9 मे भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा सिद्ध होता है। अधिनस्थ न्यायाल. द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के प्रकरण संख्या 66/17 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 13.8.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:30 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी यसीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix G)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर

बइजलास श्री लक्ष्मीकांत बालोत आर.ए.एस.

1. मु0सुमन पत्नि रामधरम
2. वती पुत्री रामधरम
3. रति पुत्री रामधरम
4. गौरव पुत्र रामधरम नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती सुमन पत्नि रामधरम जातियान गुर्जर निवासीयान ढाणी सैनपुर कमलापुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल जिला करौली
5. कमला पुत्री रघुनाथ पत्नि विक्रय जाति गुर्जर निवासी ढाणी सैनपुर कमालपुरा हाल वासी खेडी मंडीली तहसील मासलपुर जिला करौली
6. रूपवाई पुत्री रघुनाथ पत्नि गोविन्द जाति गुर्जर निवासी ढाणी सैनपुर कमालपुरा हाल वासी जयसिंहपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली
7. रमेश
8. गिरधारी
9. रामकेश
10. यादराम
11. संतोष पिसरान रघुनाथ जातियान गुर्जर निवासी ढाणी सैनपुर कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. भगवानी देवी पत्नि अतर सिंह
2. लखन बाई पत्नि कल्याण सिंह जातियान गुर्जर निवासी चन्दवाड तहसील टोडाभीम जिला करौली
3. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

अपील संख्या 62/2024 निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम दिनांक 13.8.24 दावा इस्तकरारहकएवं स्थाई निषेधाज्ञा । यह अपील संख्या 62/24 व तारीख 05.01.26 रूबरू हमारे व हाजिरी श्री सीताराम गुंजर अभिभाषक मिन जानिब अपीलांट तथा रेस्पो0 श्री मनोज कुमार शर्मा । उभयपक्ष अधिवक्तागण की उपस्थिति समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के प्रकरण संख्या 66/17 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.8.24 को यथावत रखा जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 05.01.26 को जारी किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पो0	रूपये	पैस
स्टाम्प अपील	----	----	स्टाम्प वकालतनामा	----	----
स्टाम्प वकालतनामा	----	[illegible]	[illegible]	----	----
इजराय हुक्मनामा	----	[illegible]	इजराय हुक्मनामा	----	----
वकील फीस बाबत	----	----	महन्ताना वकील	----	----

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:30 IST
Reason: SelfAttested